लय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल पी. ओ.

1/11/13 अनुपालना पेशी किन उप.। वास्ते आदेश पत्रा. दिनांक 12-11-13 का प्रस्तुत तलबाना T.J. की अवधि बढ़ाई जाती है।

12/11/13 अनुपालना पेशी किन उपस्थित। प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रा. किया गया। पत्रा. नम्बर से कम होकर दाखिल मुल वाद की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम (अलवर)
पीठासीन अधिकारीः– रविन्द्र कुमार शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या
176/12

प्रार्थना पत्र दायर दिनांक
09/08/2012

निर्णय दिनांक 12.11.13

उनवान

1 पताशी देवी पत्नि मुन्शीराम जाति गुर्जर निवासी गुजरीवास तहसील कोटकासिम जिला अलवर हाल निवासी गुर्जर माजरी तहसील बावल जिला रेवाडी हरियाणा।

– प्रार्थीनी/वादनी

बनाम

1 रामप्रकाश पुत्र श्री रामपत जाति गुर्जर निवासी गुर्जर माजरी, तहसील बावल
2 लायकराम पुत्र रामपत जाति गुर्जर निवासी गुर्जर माजरी, तहसील बावल
3 बदलूराम पुत्र रामतज जाति गुर्जर निवासी गुर्जर माजरी, तहसील बावल जिला रेवाडी, हरियाणा
4 कैला पुत्री रामपत जाति गुर्जर पत्नि दयाराम निवासी हरीयाहेडा तहसील सोहना जिला गुडगॉवा
5 बिल्लु पुत्री रामपत पत्नि कर्मवीर जाति गुर्जर निवासी नाथूपुरा तहसील व जिला गुडगॉव
6 शीला पत्नि टीटू पुत्री रामपत जाति गुर्जर निवासी नाथूपुरा तहसील व जिला गुडगॉव हरियाणा
7 बुद्वी बेवा रामपत जाति गुर्जर निवासी गुर्जर माजरी, तहसील बावल जिला रेवाडी
8 खजान सिंह पुत्र श्री रामसिंह जाति गुर्जर
9 हुकमसिंह पुत्र रामसिंह जाति गुर्जर
10 धर्मवीर पुत्र रामसिह गुर्जर
11 लक्ष्मन पुत्र रामसिंह जाति गुर्जर
12 सोमवती देवी पत्नि भवानीसिंह जाति गुर्जर
13 किरोडी पुत्र भवानीसिंह जाति गुर्जर
14 महेन्द्र पुत्र भवानीसिंह जाति गुर्जर
15 राहुल पुत्र भवानीसिंह गुर्जर निवासियान ग्राम गुर्जर माजरी, तहसील बावल जिला रेवाडी, हरियाणा
16 बालादेवी पुत्री भवानी पत्नि नामालूम जाति गुर्जर निवासी गुर्जर घटाल तहसील तिजारा जिला अलवर
17 कोकिला पुत्री भवानीसिंह पत्नि नामालूम निवासी गुर्जर घटाल तहसील तिजारा जिला अलवर
18 कृष्णादेवी पुत्री रामसिंह जाति गुर्जर पत्नि ओमपाल
19 सुनीता देवी पुत्री रामसिह पत्नि मनोज जाति गुर्जर निवासियान ग्राम कुंजैया तहसील व जिला झज्जर, हरियाणा

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

20 फूला देवी पत्नि रामसिंह गुर्जर निवासी गुर्जर माजरी तहसील बावल जिला रेवाडी, हरियाणा

-- असल प्रतिवादीगण

21 तहसीलदार कोटकासिम जिला अलवर

-- तकमीली प्रतिवादी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212
राज. काश्त. अधिनियम व अन्तर्गत आदेश
39 नियम 1 व 2 व सपठित धारा 151 जा.दी.

उपस्थित

1 श्री समयसिंह यादव -- अभिभाषक प्रार्थीया
2 श्री विकास यादव -- अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1, 2, 3 व 7

निर्णय

प्रार्थीया द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्त. अधिनियम व अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 व सपठित धारा 151 जा.दी. इस न्यायालय मे पेश किया प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 348 रकबा 57 एयर, 352 रकबा 25 एयर, 354 रकबा 11 एयर, 358 रकबा 27 एयर, 380 रकबा 77 एयर, 398 रकबा 1.10 हैक्टेयर, 536 रकबा 71 एयर, 294 रकबा 32 एयर कुल किता 8 रकबा 4.13 हैक्टेयर वाके ग्राम गुजरीवास तहसील कोटकासिम जिला अलवर मे स्थित है। उपरोक्त विवादित आराजी प्रार्थीनी व अप्रार्थीगण/ प्रतिवादीगण 1 लगायत 7 के वालिद रामपत तथा अप्रार्थीगण/ प्रतिवादीगण 8 लगायत 20 के वालिद रामसिंह की सयुंक्त कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है, जिसमे वादनी का 1/6 हिस्सा है तथा मौके पर किसी भी प्रकार से बांटी हुई नही है और ना ही किसी प्रकार का बंटवारा किया गया है, सभी पक्षकारान द्वारा मौके पर सयुंक्त रूप से काश्त की जा रही है इस प्रकार विवादित आराजी अबट है। चुंकि रामपत का स्वर्गवास हो चुका है इसलिए उनके स्थान पर उनके वारिसान 1 लगायत 7 अप्रार्थीगण तथा रामसिंह का भी देहांत हो चुका है इसलिए उनके स्थान पर उनके वारिसान 8 लगायत 20 अप्रार्थीगण है। रामसिंह के वारिसान मे से उनके एक पुत्र भवानीसिंह का भी देहांत हो चुका है इसलिए भवानी के हिस्से के लिए अप्रार्थीगण संख्या 12 लगायत 17 को पक्षकार मुककदमा बनाया गया है। अप्रार्थीगण / प्रतिवादीगण जानबुझकर वादनी को तंग व परेशान करने के लिए उसकी जमीन को हडपने करने की नीयत से बिना बताये ही विवादित आराजी को बेचान कर देना चाहते है जिससे वादनी का हिस्सा खुर्द-बुर्द हो जाने व उसकी कीमत प्रतिवादीगण आपस मे बांटकर खा जायेगे, जबकि वादनी एक शहीद सैनिक की विधवा है। जिसके आगे-पीछे कोई नही है। जिसके पास आय का भी कोई साधन नही है। इसलिए

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

वादनी की मजबूरी का फायदा उठाकर प्रतिवादीगण वादनी के हिस्से की जमीन को बिना बताये गुन्डा तत्वो को बेचकर कीमत स्वयं वसूल करना चाहते है तथा प्रतिवादीगण ने वादनी के खिलाफ एक गंभीर साजिश रची हुई है जिससे वादनी को काफी नुकसान होने का अंदेशा है। इसलिए वादनी शामलात की आराजी मे से अच्छी मे से अच्छी और बुरी मे से बुरी अपने हिस्से की 1/6 आराजी का बंटवारा कराकर अपने आप को काश्तकार खातेदार घोषित कराने की अधिकारी है। प्रतिवादीगण ने दिनांक 31.05.2012 को वादनी को उसका हिस्सा तकसीम कर संभलवाने से साफ मना कर दिया तथा विवादित आराजी को खुर्द– बुर्द करने की खुलेआम धमकी दी है। मूल वाद के निर्णय मे काफी समय लगने की सम्भावना है। वाद के निर्णय से पूर्व ही प्रतिवादीगण अपने मकसद मे कामयाब हो गए तो वादनी का वाद बेसुध हो जायेगा तथा वादनी को अपूरणीय क्षति होंगी आपस मे भारी मुकदमेबाजी बढ जाने का भी एहतमाल है। इसलिए निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण 1 लगायत 20 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वो वाद के निर्णय तक विवादित आराजीयात कुल किता 8 रकबा 4.13 हैक्टेयर वाके ग्राम गुजरीवास तहसील कोटकासिम जिला अलवर को दीगर जगर रहन बय हिबा आदि से गुन्तकिल नही करे तथा वादनी के हिस्से की भूमि का कब्जा जबरन दीगर व्यक्ति के हवाले ना करे। वादनी को अपने हिस्से मे कार्य काश्त मे मजामहत पैदा नही करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया।

अप्रार्थीगण 1 लगायत 7 की ओर से जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर जवाबदावा पेश किया गया। उक्त अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब मे बताया कि विवादित आराजीयात विवादित नही है, निर्विवाद है। विवादित आराजीयात पक्षकारान के बुर्जुगानो द्वारा काफी अरसा 30 वर्ष पूर्व ही बांट गए थे। उसी प्रकार आज भी मौके पर पक्षकारान काबिज काश्त है। विवादित आराजीयात मे अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 7 को 2/3 हिस्सा है। आराजी खसरा नम्बर 398/4–09, 536/2.16, 348/2.05, 352/1.00, 354/0.09 बीघा आराजी अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 7 के हिस्से मे आयी हुई तथा प्रार्थीया व अप्रार्थीगण संख्या 8 लगायत 20 के हिस्से मे विवादित आराजी खसरा नम्बर 380/3.01, 294/1.05, 356/1.00 बीघा आयी हुई है। उसी प्रकार मौके पर काबिज काश्त है। प्रार्थीया व अप्रार्थीगण संख्या 8 लगायत 20 ने अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 7 के विरूद्व एक नाजायज गिरोह बनाया हुआ है जो आये रोज अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 7 के कब्जे काश्त मे मजामहत व गदालखत पैदा करते रहते है व प्रार्थीया व अप्रार्थीगण संख्या 8 लगायत 20 जबरदस्ती अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 7 के हक हिस्से मे आयी आराजी को हडपना चाहते है। जिस कारण से यह एक कोलिसिव वाद न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत किया है। इससे पूर्व भी अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 7 के विरूद्व विभिन्न किस्म के वाद प्रस्तुत किये गए। जो बेजा रूप से अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 7 को नाजायज तंग व परेशान करने की गर्ज से प्रस्तुत किये गए है। जो अब भी न्यायालय हाजा के समक्ष जैर गौर है। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 7 बहुत ही शांतिप्रिय व कानून कायदो की पालना मे विश्वास करने वाले है। प्रार्थीया अपने हक हिस्से पर काबिज काश्त है। दीगर लोगो को विवादित आराजी कब्जा नही दिया है और ना ही बेचने की फिराक मे है

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

दिनांक 31.05.2012 की समस्त कहानी प्रार्थीया ने नितान्त झूठी व बनावटी दर्ज की है। प्रार्थीया को अपूरणीय क्षति नही होती है। प्रार्थीया हम अप्रार्थीगण को किसी भी सूरत मे जरिये हुक्मईम्तनाइ चंदरोजा से पाबंद करवाने की अधिकारी नही है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रकरण मे पक्षकारान के विद्वान अभिभाषको की बहस सुनी गयी।

प्रार्थीया के विद्वान अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराया तथा कथन किया कि विवादित आराजी मे वादनी का 1/6 हिस्सा है। और चुंकि वादनी का पिता फौत हो चुका है। वादनी बेवा है इस कारण प्रतिवादी उसे तंग और परेशान करते है। यदि कोई स्ट्रैन्जर परचेजर आ जाता है तो इससे वाद मे जटिलता बढ जायेगी। अतः बंटवारे तक ताफैसला प्रतिवादीगण को पाबंद किया जावे।

अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपने जवाब के तथ्यो को दोहराया और कहा कि धारा 53 राज. काश्त. अधिनियम के वाद मे कोई सहखातेदार अपने किसी अन्य सहखातेदार को पाबंद नही करा सकता सिर्फ पाबंदी इस बाबत करवायी जा सकती है कि जब तक आराजी का तकासमा ना हो जाये किसी विशेष जुज पर निर्माण कार्य ना किया जाये अन्य किसी बात के लिए सहखातेदार सहखातेदार को पाबंद नही करवा सकता। आराजी मुतदावीया मे वादीया का 1/6 भाग हिस्सा है। प्रतिवादीगण 8 लगायत 20 का 1/6 हिस्सा है और हम प्रतिवादीगण 1 लगायत 7, 2/3 हिस्सा है। जो प्रतिवादीगण बनाये गए है वे दावा दायरी से पूर्व हमारे हक मे रिलीज डीड कर चुके है जिसका अंकन जमाबंदी मे आया हुआ है। वादीया व प्रतिवादीगण 8 लगायत 20 मिल्लत कर हमे तंग व परेशान कर रहे है। अप्रार्थी अभिभाषक ने अपने पक्ष मे विद्वान अभिभाषक द्वारा आर.आर.डी. 2008 पेज 762, आर.आर.डी. 2012 पेज 379 प्रस्तुत की गयी।

मेरे द्वारा पक्षकारान के विद्वान अभिभाषको की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात एवं न्यायिक दृष्टांतो का अवलोकन किया गया।

"आर.आर.डी. 2008 पेज 762 मे वर्णित दृष्टांत मे राजस्व मंडल की वृहद पीठ ने रामस्वरूप बनाम मंगु आर.आर.डी. 1977 पृष्ठ 470 के पैरा 7 मे कहा है " No law has been brought to our notice which says that a person holding a share in land must get the permission of the co-sharers to dispose of his share. This is because the share by a person belongs to him alone and his co-sharers can note be said to have an interest in it. The interest in the land is common but the interest in each share is individual. When the co-sharers are not concerned there can be no question of his having to obtain their permission for transferring his share.......... When a share in agricultural land is transferred the buyer steps in to the shoes of the seller and becomes a co-tenant."

मेरे विनम्र मत मे उक्त न्यायिक दृष्टांत इस प्रकरण मे पूर्णतः चस्पा होता है। ऐसी परिस्थिति मे किसी सहखातेदार द्वारा अन्य सहखातेदार को पाबंद कराना उचित नही है।

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

प्रार्थीया अपने पक्ष मे प्रथम दृष्टया मामला साबित करने मे असफल रही है व सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीया के हक मे नही होने के कारण प्रार्थीया को किसी प्रकार की कोई अपूरणीय क्षति होना भी साबित नही होती है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्त. अधिनियम व आदेश 1, 2 सपठित धारा 151 जा.दी खसरा नम्बर 348 रकबा 57 एयर, 352 रकबा 25 एयर, 354 रकबा 11 एयर, 358 रकबा 27 एयर, 380 रकबा 77 एयर, 398 रकबा 1.10 हैक्टेयर, 536 रकबा 71 एयर, 294 रकबा 32 एयर कुल किता 8 रकबा 4.13 हैक्टेयर वाके ग्राम गुजरीवारा तहसील कोटकासिम जिला अलवर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 12.11.13 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरे ईज्लास सुनाया गया।

(रविन्द्र कुमार शर्मा)
उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner